रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229740
CG-DL-E-17092021-229740

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3482] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 16, 2021/भाद्र 25 , 1943
No. 3482] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 16, 2021/BHADRA 25, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

का.आ. 3794(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले तमिलनाडु तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात्: —

क्रम सं.	सदस्य	प्रास्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	सरकार का प्रधान सचिव, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग, तमिलनाडु सरकार	अध्यक्ष, पदेन ;
2.	नगर और ग्राम योजना निदेशक/आयुक्त, 807, अन्ना सलाई, चैन्नई	सदस्य, पदेन ;

3.	मत्स्य निदेशक/आयुक्त, तेन्याम्पेट, चैन्नई	सदस्य, पदेन ;
4.	सदस्य-सचिव,तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गिन्डी, चैन्नई	सदस्य, पदेन ;
5.	सदस्य-सचिव, चैन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, इगमौर, चैन्नई	सदस्य, पदेन ;
6.	क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड, राजाजी भवन, बंसत नगर, चैन्नई	सदस्य, पदेन ;
7.	निदेशक/आयुक्त,उद्योग और वाणिज्य विभाग, गिन्डी औद्योगिक इस्टेट, चैन्नई	सदस्य, पदेन ;
8.	डा. आर. वेंकटेसन, वैज्ञानिक 'जी' और समूह प्रमुख-समुद्र संप्रेक्षण प्रणाली, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, चैन्नई	विशेषज्ञ सदस्य ;
9.	डा. आर. रमेश, निदेशक, राष्ट्रीय पोषणीय तटीय प्रबंध केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय परिसर, गिन्डी, चैन्नई	विशेषज्ञ सदस्य ;
10.	डॉ. डी. थिरूमलिवासन, निदेशक, दूरस्थ संवेदी संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई	विशेषज्ञ सदस्य ;
11.	डॉ. एल. एलैंगो, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भू-विज्ञान विभाग, अन्नाविश्वविद्यालय, चैन्नई	विशेषज्ञ सदस्य ;
12.	सलाहकार, मैसर्ज केयर अर्थ ट्रस्ट, नं. 3/2, छठी गली, थिल्लै गंगा नगर, नगन्नालूर, चैन्नई-600061	सदस्य, गैर-सरकारी संगठन ;
13.	निदेशक, पर्यावरण, पनागल भवन, सैदापेट, चैन्नई-600015	सदस्य-सचिव, पदेन ।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय चैन्नई, तमिलनाडु में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई सदस्यों से होगी ।

4. किसी पदेन सदस्य से भिन्न, किसी सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए गए सन्नियमोंके अनुसार भत्तों का संदाय किया जाएगा ।

5. हित के किसी टकराव से बचने के लिए, सदस्य, किसी ऐसी परियोजना, जिसके लिए उन्होंने परामर्श कार्य संबंधी सेवा दी है, के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, प्राधिकरण की बैठक से स्वयं को दूर रखेंगे ।

6. प्राधिकरण, तमिलनाडु राज्य में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:--

(i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में हैं और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई तटीय विनिमय जोन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है तो उसकी जांच करेगा और संबद्ध प्राधिकरण को ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर सिफारिशें करेगा;

(ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार तटीय विनिमय जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन करने और उनकी मानीटरी करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों के वर्गीकरण में और तटीय जोन प्रबंध योजना में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उसके संबंध में विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगा;

(v) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करेगा और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;

(vi) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा;

(vii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है;

(viii) प्राधिकरण, उसके समक्ष मामलों के तथ्यों को सत्यापित करने के लिए,उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन, जैसी अपेक्षा की जाए,कार्रवाई करेगा ।

7. प्राधिकरण, अपने कार्यकरण में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत इसकी बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन संबंधी मामलों के लिए सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाई, न्यायालय मामले, जिनके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश भी हैं, और राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा ।

8. प्राधिकरण छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

[फा.सं. जे-17011/18/1996-आईए-III(भाग)]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 15th September, 2021

S.O. 3794(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Tamil Nadu Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:—

Sl.No.	Members	Status
(1)	(2)	(3)
1.	The Principal Secretary to Government, Environment, Climate Change & Forest Department, Government of Tamil Nadu	Chairman, *exofficio;*
2.	The Director/Commissioner of Town and Country Planning, 807, Anna Salai, Chennai	Member, *exofficio;*
3.	The Director/Commissioner of Fisheries, Tenyampet, Chennai	Member, *exofficio;*
4.	The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board, Guindy, Chennai	Member, *exofficio;*
5.	The Member Secretary, Chennai Metropolitan Development Authority, Egmore, Chennai	Member, *exofficio;*
6.	The Regional Director, Central Ground Water Board, Rajaji Bhavan, Besant Nagar, Chennai	Member, *exofficio;*
7.	The Director/Commissioner, Department of Industries and Commerce,	Member, *exofficio;*

	Guindy Industrial Estate, Chennai	
8.	Dr. R. Venkatesan, Scientist G & Group Head-Ocean Observation Systems, National Institute of Ocean Technology, Ministry of Earth Sciences, Chennai	Member, *Expert;*
9.	Dr. R. Ramesh, Director, National Centre for Sustainable Coastal Management, Anna University Campus, Guindy, Chennai	Member, *Expert;*
10.	Dr. D. Thirumalivasan, Director, Institute of Remote Sensing, Anna University, Chennai	Member, *Expert;*
11.	Dr. L. Elango, Professor & Head, Department of Geology, Anna University, Chennai	Member, *Expert;*
12.	The Advisor, M/s Care Earth Trust, No. 3/2, 6th Street, Thillai Ganga Nagar, Nanganallur, Chennai-600 061	Member, *Non-Governmental Organization ;*
13.	The Director of Environment, Panagal building, Saidapet, Chennai - 600 015	Member Secretary, *exofficio*.

2. The Authority shall have its headquarters at Chennai, Tamil Nadu.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. A Member, other than an exofficio Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, the member(s) shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered consultancy service.

6. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Tamil Nadu, take the following measures, namely:—

(i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published vide number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

(vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

(vii) the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

(viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

7. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contraventions of the said notification

and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

8. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F.No. 17011/18/1996- IA-III (part)]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.09.17 13:20:29 +05'30'